कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक स्कूल शिक्षा **(संस्कृत)** वेतन श्रृंखला पी.बी. 2 (9300–34800) ग्रेड पे–4200/रू के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–1(2)/एफडी/नियम/2006 दिनांक 13.03.06 एवं एफ 12(6) एफडी/नियम/05 दिनांक 13.03.06 के प्रावधानान्तर्गत निम्नांकित अभ्यर्थियों को दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किया गया था। इन अभ्यर्थियों की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाऐं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2008 के नियम 22 एवं अनुसूची 5 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 7 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पी.बी.–2 (9300–34800 एवं ग्रेड पे–4800/रू) (क्रम सं. 01 को ग्रेडपे–4200) देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की स्वीकृती एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इनको कॉलम सं. 7 में अंकित तिथि से राजस्थान सेवा नियम 1970 के नियम–31 के अन्तर्गत प्राध्यापक स्कूल शिक्षा **संस्कृत** के पद पर स्थाई किया जाता है :–

क्र सं.	मेरीट क्रमांक	वर्ग	नाम व्या. एवं पदस्थापन स्थान (राउमावि) सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	जन्म तिथि	कार्य ग्रहण तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला /स्थाईकरण तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	31	—	नर्बदा शंकर श्रीमाली, एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर	13.05.72	13.09.06	13.09.08
2	एम–16	सामान्य महिला	पायल शर्मा, राबाउमावि टाउन, डूंगरपुर	04.11.80	16.03.11	16.03.13
3	एम–27	सामान्य	पवन कुमार सेवक, जेठाणा, डूंगरपुर	01.08.76	11.03.11	11.03.13

(बी.एल.स्वर्णकार)
आईएएस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कमांक – शिविरा–मा/संस्था/सी–1/संस्कृत/स्थाईकरण/पीएससी–12/2015–16 दिनांक:–05/07/16

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. उप शासन सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
4. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0–I/II)
6. संबंधित संस्था प्रधान,
7. संबंधित कार्मिक,
8. अनुभाग अधिकारी– वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन कार्यालय हाजा
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

[Type text]

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–4/नियुक्ति–गृह विज्ञान /पीएससी /15/2016 दिनांक 24.02.16 के द्वारा श्रीमति निशा कुमावत को राउमावि, हेमलियावासखुर्द–पाली में पदस्थापित कर दिनांक 10.03.2016 तक कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था। चूंकि श्रीमति कुमावत पूर्व में भी सरकारी सेवा में है एवं ये दिनांक 18.01.2016 से 15.07.2016 तक मातृत्व अवकाश पर है। अतः श्रीमति कुमावत की कार्यग्रहण तिथि **दिनांक 20/07/2016** तक बढाई जाती है।
आदेश की शेष शर्ते मूल आदेश अनुसार यथावत रहेगीं ।

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/मा/संस्था/सी–4/नियुक्ति–गृह विज्ञान/पीएससी /15 दिनांक 05/07/16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उपनिदेशक, (माध्य)
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)
3. संबंधित संस्था प्रधान
4. संबंधित कार्मिक
5. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

: कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर :

: : कार्यालय–आदेश : :

इस कार्यालय के आदेश क्रमाक शिविरा/ मा / संस्था /बी–1 /45001 /पीएससी/2013 दिनांक 09.07.2014 (आदेश सं. 01) के द्वारा वरियता क्रमांक 721 (सामान्य) पर अंकित श्री रजनीकान्त शर्मा याख्याता भूगोल ,राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांतड़िया(झुझनू) को, उनका राजस्थन लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक (मावि) के पद पर चयनोपरान्त, प्रधानाध्यापक(मावि) के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप मे नियत मानदेय के रूप में विद्यमान वेतनमान मे नियुक्ति प्रदान की जाकर राजकीय माध्यमिक विद्यालय माण्डवझेर–पीपलखूट जिला प्रतापगढ में पदस्थापित किया गया था । उक्त आदेश की पालना में श्री रजनीकान्त शर्मा द्वारा प्रधनाध्यापक(मावि) के पद पर संशोधित पदस्थापित स्थान रामावि पीथलवड़ी जिला प्रतापगढ पर दिनांक 27.08.2014 को कार्यग्रहण किया ।

श्री रजनीकान्त शर्मा प्रधानाध्यापक रामावि कृपाराम की ढाणी–लक्ष्मणगढ जिला सीकर ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 20.05.16 के द्वारा पुत्री मानसिक रूप से असक्षम के कारण अपना पदस्थापन पूर्व स्थाई पद व्याख्याता(भूगोल) के पद पर करने की मांग की है । चूंकि श्री रजनीकान्त शर्मा इनका प्रधानाध्यापक(मावि) पद पर चयन से पूर्व झुझुनू जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सातड़िया में व्याख्याता भूगोल पद पर स्थाई लोकसेवक के रूप में कार्यरत थे, एवं राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 15 के अधीन श्री रजनीकान्त शर्मा पूर्व कार्यरत स्थाई पद व्याख्याता भूगोल के पद पर पदाधिकार (लियन) नियमानुसार रखते है, अतः इनके आवेदन पत्र दिनांक 20.05.2016 द्वारा पूर्व स्थाई पद व्याख्याता भूगोल के पद पर पदस्थापित करने के संबंध में की गई मांग स्वीकार की जाकर इन्हें प्रधानाध्यापक(मावि) पद से मुक्त करते हुए पूर्व स्थाई पद व्याख्याता भूगोल पद पर पदस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(बी.एल.स्वर्णकार)
आईएएस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/संस्था/ए–2/रजनीकान्त शर्मा /पीएससी/2013 दिनांक–4-7-2016

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01–संयुक्त निदेशक(कार्मिक) कार्यालय हाजा को व्याख्याता–भूगोल के पद पर पदस्थापन हेतु ।
02–उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग चूरू।
03–जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक–II) शिक्षा विभाग सीकर।
04– श्री रजनीकान्त शर्मा प्रधानाध्यापक रामावि कृपाराम की ढाणी–लक्ष्मणगढ जिला सीकर को भेजकर लेख है कि प्र.अ. पद का चार्ज विद्यालय के वरिष्ठतम कार्मिक को सुपुर्द कर एवं शाला दर्पण को अपडेट कर तत्काल कार्यमुक्त होवे एवं अपनी आगामी उपस्थिति व्याख्याता (भूगोल) पद पर पदस्थापन प्राप्ति हेतु संयुक्त निदेशक(कार्मिक) कार्यालय हाजा के समक्ष उपस्थिति देवे ।
05– अनुभागधिकारी वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग कार्या. हाजा ।
06– प्रभारी बी–1/बी–III प्रभाग
07– निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर